रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33002/99

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

REGISTERED No. D.L.—33002/99

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 86] दिल्ली, सोमवार, जून 30, 2014/आषाढ़ 9, 1936 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 55

No. 86] DELHI, MONDAY, JUNE 30, 2014/ASHADHA 9, 1936 [N.C.T.D. No. 55

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

लोक निर्माण विभाग एवं आवास

(आबंटन शाखा)

अधिसूचना

दिल्ली, 30 जून, 2014

सं. फा. 4(1)/वि0/पार्ट–III/लो0 नि0 वि0 एंड आ0/आ0.II/6173.–मौलिक नियमावली के नियम 45 के उपबंधों के अनुसरण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल इसके द्वारा दिल्ली सरकारी आवास आंबटन (सामान्य पूल) नियमावली, 1977 में आगे संशोधन करने के लिए निम्न प्रकार से नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ**–(1) इन नियमों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार सरकारी आवास आबंटन (सामान्य पूल) संशोधन नियमावली, 2014 कहा जाएगा।

   (2) यह दिल्ली राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी

   (2) **नियम 11 में संशोधनः**—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकारी आवास आबंटन (सामान्य पूल) नियमावली, 1977 (जिसे इसके बाद मूल नियमावली कहा गया है) के नियम 11 के उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

(2) "कोई अधिकारी उपनियम (3) के अनुसार आंबटित आवास को तभी रख सकता है यदि कॉलम 2 में दी गई प्रविष्टि में निर्दिष्ट कोई स्थिति पैदा हुई है। बशर्ते कि अधिकारी या उसके परिवार के सदस्य को उपयोग हेतु आवास रखा जाना अपेक्षित है।

घटनाएं	आवास को रखने के लिए अनुमति योग्य अवधि
त्याग–पत्र, बर्खास्त करना या सेवा से हटाना, सेवा की समाप्ति या बिना अनुमति के अनधिकृत अनुपस्थिति	एक माह
सेवानिवृति या आवधिक अवकाश	(क) इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से पूर्व आवास आबंटन की स्थिति में: सामान्य लाइसेंस शुल्क पर दो माह, सामान्य लाइसेंस शुल्क का दोगुना अगले दो माह, सामान्य लाइसेंस शुल्क का चार गुना अगले दो माह तथा उसके बाद में सामान्य शुल्क के छह गुना पर दो माह (ख) इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख के पश्चात् आवास आबंटन की स्थिति में: सामान्य लाइसेंस शुल्क पर दो माह, सामान्य लाइसेंस शुल्क के दोगुना करने पर अगले दो माह, सामान्य लाइसेंस शुल्क के चार गुना पर आगे दो माह''

3. **नियम 19 का संशोधन:**—मूल नियमावली के उपनियम (1) में परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"उपबंध है कि मृत्यु तथा सेवानिवृति अथवा आवधिक अवकाश के मामले का छोड़कर विशेष परिस्थितियों में निदेशक आवास लाइसेंस शुल्क की फ्लैट दर का दोगुना अथवा उसके द्वारा भुगतान की जा रही लाइसेंस शुल्क के दोगुना, इनमें जो भी अधिक हो, के भुगतान करने पर नियम 11 के अन्तर्गत अनुमत अवधि के अतिरिक्त छह माह की अवधि के लिए किसी अधिकारी को आवास को रखने की अनुमति प्रदान कर सकता है।''

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप–राज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर,

संदीप गुलाटी, उप सचिव (लोक निर्माण विभाग)

PUBLIC WORKS DEPARTMENT

(Allotment Branch)

NOTIFICATION

Delhi, the 30th June, 2014

No. F.4(1)/Misc./P-III/PWD&H/A-II/6173.—In pursuance of the provisions of rule 45 of the Fundamental Rules, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi hereby makes the following rules further to amend the Government of National Capital Territory of Delhi Allotment of Government Residences (General Pool) Rules, 1977, as following, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Government of National Capital Territory of Delhi Allotment of Government Residences (General Pool) Amendment Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. **Amendment of rule 11.**—In the Government of National Capital Territory of Delhi Allotment of Government Residences (General Pool) Rules 1977, (hereafter shall be referred to as the Principal Rules), for sub-rule (2), in rule 11, the following shall be substituted, namely :—

(2) "A Residence allotted to an officer may, subject to sub-rule (3) be retained on the happening of any of the events specified in the corresponding entry in column 2 thereof, provided that the residence is required for the use of the officers or members of his family.

EVENTS	Permissible period for retention of the residence
Resignation, dismissal or removal from Service, termination of service or unauthorised absence without permission	1 month
Retirement or terminal leave	(a) In cases of accommodation allotted prior to the date of issue of this notification: 2 months on normal licence fee, another 2 months on double of the normal licence fee, further 2 months on four times of the normal licence fee and subsequent 2 months on six times of the normal fee (b) In cases of accommodation allotted on or after the date of issue of this notification: 2 months on normal licence fee, another 2 months on double of the normal licence fee and further 2 months on four times of the normal licence fee."

3. **Amendment of rule 19.**—In the principal Rules, in sub-rule (1), for the proviso, the following shall be substituted, namely :—

"Provided that an officer, in special cases, except in case of death and retirement or terminal leave, may be allowed by Director of Allotment to retain a residence for a period not exceeding 6 months beyond the period permitted under Rule 11, on payment of twice the flat rate of licence fee or twice the licence fee he was paying, whichever is higher."

By Order and in the Name of the Lt. Governor of
National Capital Territory of Delhi,

SANDEEP GULATI, Dy. Secy. (PWD)

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.